न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

(84)

समक्ष : **मनोज गोयल**
अध्यक्ष

प्रकरण कमांक निगरानी 1864–चार/2002 विरूद्ध आदेश दिनांक 29–6–2002 पारित द्वारा अपर आयुक्त, उज्जैन संभाग, उज्जैन प्रकरण कमांक 108/1997–98/अपील.

सौदानसिंह पिता शिवसिंह राजपूत
निवासी ग्राम धानखेड़ी
तहसील सीतामऊ जिला मन्दसौर .....आवेदक

विरूद्ध

सीताबाई पिता रूघनाथ राजपूत
निवासी ग्राम धानखेड़ी
तहसील सीतामऊ टप्पा सुकवास जिला मन्दसौर .....अनावेदिका

श्री दिनेश ब्यास, अभिभाषक, आवेदक

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 13/11/17 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त, उज्जैन संभाग, उज्जैन द्वारा पारित आदेश 29–6–2002 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदिका द्वारा नायब तहसीलदार, टप्पा सुवासरा के प्रकरण कमांक 6/अ–6/97–98 में पारित नामान्तरण आदेश दिनांक 31–12–97 के विरूद्ध प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी, सीतामऊ के समक्ष प्रस्तुत की गई । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रकरण कमांक 16/अपील/97–98 दर्ज कर दिनांक 24–2–98 को आदेश पारित कर तहसील न्यायालय का आदेश निरस्त कर प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया गया कि वे अनावेदिका को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर आदेश पारित करें । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील

अपर आयुक्त, उज्जैन संभाग, उज्जैन के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 29–6–2002 को आदेश पारित कर अपील निरस्त करते हुए अनुविभागीय अधिकारी का आदेश स्थिर रखा गया । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया है कि सूचना पत्र की तामीली आवेदक को नही कराते हुए किसी अन्य सोदानसिंह पिता इन्दरसिंह नाम के व्यक्ति पर कराई गई है । यह भी कहा गया कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने न्याय दृष्टांत 1955 सुप्रीम कोर्ट पृष्ठ 425 में यह न्यायिक सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि हितबद्ध व्यक्ति को पक्ष समर्थन का समुचित अवसर देने के पश्चात ही आदेश पारित करना चाहिए, जबकि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा आवेदक को सूचना एवं सुनवाई का अवसर दिये बिना आदेश पारित किया गया है, जो कि नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत है । तर्क में यह भी कहा गया कि तहसील न्यायालय द्वारा अनावेदिका को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर सम्पूर्ण साक्ष्य की विवेचना कर निष्कर्ष निकालते हुए आदेश पारित किया गया था, जिस पर अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा कोई विचार नहीं किया गया है । यह तर्क भी प्रस्तुत किया गया कि अनावेदिका ने अपने कथन नहीं किये हैं और न ही साक्षियों के कथन कराये गये हैं, जिस पर बिना विचार किये आदेश पारित करने में अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा त्रुटि की गई है । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि अनावेदिका को अनुचित लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से प्रकरण प्रत्यावर्तित करने में अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा अवैधानिकता की गई है । अन्त में तर्क प्रस्तुत किया गया कि अपर आयुक्त के समक्ष आवेदक द्वारा जिन बिन्दुओं को उठाया गया था, जिस पर बिना विचार किये आदेश पारित करने में भूल की गई है ।

4/ अनावेदिका के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई है ।

5/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । तहसील न्यायालय के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि तहसील न्यायालय द्वारा नामान्तरण आदेश पारित करने में अनावेदिका को किसी प्रकार की कोई सूचना एवं सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया है, जबकि अनावेदिका प्रश्नाधीन भूमि में हितबद्ध

पक्षकार है । ऐसी स्थिति में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा तहसील न्यायालय का आदेश निरस्त किया जाकर अनावेदिका को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर आदेश पारित करने हेतु प्रकरण प्रत्यावर्तित करने में पूर्णतः वैधानिक एवं उचित कार्यवाही की गई है और अनुविभागीय अधिकारी के विधिसंगत आदेश की पुष्टि करने में अपर आयुक्त द्वारा कोई त्रुटि नहीं की गई है । इस प्रकार दोनों अपीलीय न्यायालयों द्वारा निकाले गये समवर्ती निष्कर्ष विधिसंगत होने से हस्तक्षेप योग्य नहीं हैं ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त, उज्जैन संभाग, उज्जैन द्वारा पारित आदेश 29–6–2002 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर